22/12/22 पत्रावली पेश हो। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर आवेदन 212 RJA को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।